न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा R.A.S

राजस्व वाद संख्या 73/2012

वादी

रामेश्वर लाल पुत्र श्री सुजाराम जाति जाट निवासी कड़वा का बासड़ा, वार्ड सं. 8 कुचामन सिटी जिला नागौर, राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सोहनी पत्नि देवकिशन पुत्री श्री बन्नाराम जाति नायक निवासी कड़वा का बासड़ा कुचामन सिटी जिला नागौर, राजस्थान।
2. प्रेमनाथ पुत्र श्री जगन्नाथ
3. विश्वनाथ पुत्र श्री जगन्नाथ
4. गोमती पुत्री जगन्नाथ
5. शोभा पुत्री श्री जगन्नाथ
6. सुनिता पुत्री श्री जगन्नाथ
   जाति नायक निवासी कड़वा का बांसड़ा कुचामन सिटी हाल निवासी जोधपुर।
7. लालाराम पुत्र श्री मोडूराम जाति मेघवाल निवासी गौगोर तहसील नावां जिला नागौर
8. प्रभूराम पुत्र श्री हणमानराम जाति मेघवाल निवासी बेगसर तहसील डीडवाना।
9. रामदेव पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति नायक निवासी कड़वा का बासड़ा कुचामन सिटी।
10. दानाराम पुत्र श्री सुजाराम
11. कानाराम पुत्र श्री सुजाराम
12. भागुराम पुत्र श्री सुजाराम
13. किशनाराम पुत्र श्री सुजाराम
    जाति समस्त जाट निवासीयान कड़वा का बासड़ा कुचामन सिटी।
14. नगरपालिका मण्डल जरिये अध्यक्ष, नगरपालिका मण्डल कुचामन सिटी।
15. नगरपालिका मण्डल जरिये अधिशाषी अधिकारी, न.पा. कुचामन सिटी।
16. सार्वजनिक निर्माण विभाग जरिये अधिशाषी अभियन्ता कुचामन सिटी।
17. उप पंजियक महोदय एवं अतिरिक्त तहसीलदार कुचामन सिटी
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) नावां।
19. पटवारी, पटवारी हल्का कुचामन सिटी।

दावा वास्ते इस्तकरार हक, रेकर्ड दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी की ओर से।

श्री विजयसिंह अधिवक्ता प्रति. 10 से 12 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 01/02/2017

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि कस्बा कुचामन सिटी तहसील नावां की सरहद में स्थित गत खसरा न. 194 एवं 186 की भूमि पास–पास स्थित रही हैं। गत खसरा नं. 194 रकबा 644 बीघा 18 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन भाकर तत्कालीन जागीरदार के नाम मकबूजा जागीर दर्ज रहा। तत्पश्चात् सम्वत् 2030 में 529 बीघा 14 बिस्वा भूमि पहाड़िया दर्ज कर शेष भूमि को कब्जे काश्त अनुसार विभिन्न कृषकों को नियमित कर दी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

गई। जिसके अनुसार गत खसरा नं. 194 में 15 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं. 10 ता 13 के पिता सुजाराम पुत्र श्री देवाराम जाट के नाम से खातेदारी में दर्ज हो गया। इसी प्रकार गत खसर नं. 186 रकबा 48 बीघा 16 बिस्वा भूमि शुरू में ठिकाणा कुचामन के जागीर मकबुजा दर्ज रही है तत्पश्चात् उक्त खसरा की भूमि भी विभिन्न कृषकों को कब्जे काश्त अनुसार नियमित कर खातेदारी अधिकार दिये गये। जिसके अनुसार बन्नाराम पुत्र कल्याण जाति नायक के नाम 30 बीघा 16 बिस्वा भूमि दर्ज हुई व 4 बीघा भूमि गत खसरा नं. 194 मीन दर्ज कर खातेदारी दी गई। इस प्रकार बन्नाराम पुत्र श्री कल्याण जाति नायक के नाम 34 बीघा 16 बिस्वा भूमि खातेदारी में दर्ज हुई है। गत खसरा नम्बर 194 के नये खसरा नम्बर क्रमशः 456, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 481, 482, 490, 491, 498, 500, 2667/468, 2668/468, 2669/468, 2676/468, 2677/468, 2678/468 दर्ज हुए एवं इसी प्रकार से गत खसरा नं. 186 के सेटलमेन्ट के दौरान नये खसरा नं. 446, 447, 448, 452, 453, 454, 455, 458, 499, 501, 502, 503, 504, 2610/498 एवं 445 कुल रकबा 21.52 हैक्टेयर भूमि दर्ज की गई अर्थात् सम्वत् 2045 से 2050 के दौरान सेटलमेन्ट कार्यवाही हुई जिसमें गत खसरा नं. 186 व 194 को सयुंक्त रूप से नाप चौक कर नये नम्बर अंकित किये गये एवं गत खसरा नं. 186 की भूमि को बढ़ाकर नये नम्बर अंकित किये गये। पन्नुड़ी बैवा बन्ना नायक के खातेदारी में गत खसरा नं. अनुसार नियमित की गई 34 बीघा 16 बिस्वा भूमि थी। जिसे सेटलमेन्ट के दौरान नये खसरा नम्बर 446 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नं. 447 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नं. 2610/498 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नं. 499 रकबा 1.92 हैक्टैयर, खसरा नं. 501 रकबा 1.00 हैक्टेयर, खसरा नं. 502 रकबा 5.48 हैक्टेयर, खसरा नं. 503 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नं. 504 रकबा 1.22 हैक्टेयर भूमि कुल 10.51 हैक्टेयर भूमि सम्वत् 2050 से 2053 में दर्ज कर दी गई। पन्नूड़ी बेवा बन्ना नायक को उसे नियमित की गई भूमि से बढाकर बिना किसी कब्जे व अधिकार से दुगुनी से अधिक भूमि को खातेदारी में सेटलमेन्ट के दौरान दर्ज कर दिया गया। जबकि पन्नुड़ी बेवा बन्ना नायक का अतिरिक्त भूमि पर कभी भी कब्जा व अधिपत्य नही रहा था एवं पन्नूड़ी के नाम सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा किस आधार पर अधिक भूमि दर्ज की गई इसका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में नही है। वादी व प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 के पिता सुजा पुत्र देवा जाति जाट को सेटलमेन्ट के दौरान नये खसरा नं. 498 रकबा 0.39 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 2678/468 रकबा 2.08 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी दी गई। उल्लेखनीय है कि खसरा नं. 2678/468 रकबा 2.08 हैक्टेयर भूमि का इन्द्राज जमाबन्दी में अवश्य है लेकिन उक्त खसरा की भूमि न तो मौके पर ही है एवं न ह नये ट्रेस नक्शे में कहीं पर भी अंकित है। उक्त खसरा नं. 2678/468 रकबा 2.08 हैक्टेयर भूमि किस स्थान पर है इसकी जानकारी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

राजस्व अधिकारियों को भी नही है। मौके पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 13 को गत खसरा नं. 194 मीन रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 13 के पिता सुजा पुत्र देवा जाट के नाम तहसीलदार जी नावां के आदेश क्रमांक 450 दिनांक 03.07.75 से नियमित होकर पासबुक दिनांक 03.10.75 को तत्कालीन पटवारी श्री चान्दमल सोनी ने जारी की। जिसमें नक्शा मौका तरमीम किया है उसके अनुसार गत खसरा नं. 194 व 186 में उक्त भूमि आई हुई है। जिसके अनुसार निर्बाध रूप से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 13 के कब्जा की उक्त भूमि के सेटलमेन्ट के दौरान एवं मुताबिक जारी पास बुक दिनांक 03.07.75 के अनुसार यह भूमि खसरा नं. 498 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नं. 2610/498 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नं. 499 रकबा 1.92 हैक्टेयर भूमि में आई हुई है एवं वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 13 गत भू प्रबन्ध कार्यवाही से ही उक्त भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज चले आ रहे है तथा मौके पर अलग से सीव नीव कायम कर रखी हैं। जिस पर अन्य किसी का कोई हक व अधिकार नही है। पन्नुड़ी बैवा बन्ना नायक के नाम मात्र गत खसरा नं. 186 की 30 बीघा 16 बिस्वा व 194 की 4 बीघा कुल 34 बीघा 16 बिस्वा भूमि ही थी जिसका रकबा 5.60 हैक्टेयर ही होता है। इस प्रकार पन्नुड़ी बेवा बन्ना नायक के नाम 10.51 हैक्टेयर अर्थात् 66 बीघा भूमि का रकबा 5.60 हैक्टेयर की बजाय अधिक दर्ज कर दिया गया। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 13 की कब्जे काश्त की भूमि खसरा न. 499 व 2610/498 की खातेदारी भी पन्नुड़ी बेवा बन्ना नायक के नाम सेटलमेन्ट के दौरान दर्ज कर दी गई इस प्रकार पन्नुड़ी बेवा बन्ना के नाम उसके नियमित की भूमि से अधिक वादी की भूमि सहित खातेदारी किस आधार पर दर्ज की गई इसका उल्लेख सम्वत् 2050 से 2053 की जमाबन्दी में या अन्य कहीं भी उल्लेख नहीं है। पन्नुड़ी बेवा बन्ना नायक का स्वर्गवास होने से उसके कोई जाईन्दा पुत्र नहीं होने से उसकी दो पुत्रियां भंवरी एवं सोहनी के नाम उक्त भूमि का इन्द्राज हो गया। जिसमें से भंवरी का स्वर्गवास होने पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 उसके वारिसान हैं एवं प्रतिवादी संख्या 1 पन्नूड़ी की पुत्री सोहनी मौजूद है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का नाम खातेदारी में इन्द्राज होने पर उन्होने अपना हिस्सा भैरूराम पुत्र श्री दुलाराम बलाई को बैचान कर दिया। तत्पश्चात भैरूराम पुत्र दुलाराम ने अपना हिस्सा लिखमाराम को बेचान कर दिया उसके पश्चात लिखमाराम ने अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 लालाराम को बैचान कर दिया जबकि खसरा नं. 499 एवं 2610/498 पर क्रेता प्रतिवादी संख्या 7 लालाराम को किया गया परन्तु उनका कोई कब्जा व आधिपत्य नही है एवं अन्य खसरान की भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के नाम चली आ रही हैं। भंवरीदेवी द्वारा अपने नाम की कुछ खसरान की भूमि को धारा 90 (बी) के तहत नगरपालिका प्रतिवादीगण संख्या 14 व 15 द्वारा पुनग्रहीत की गई हैं इसलिए नगरपालिका को पक्षकार बनाया गया है। वादी व

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 13 के पिता सुजा पुत्र देवा जाट के देहान्त होने पर उनके कब्जेशुदा स्वामित्व की भूमि उनके वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 13 के कब्जे व अधिकार में है लेकिन राजस्व रेकर्ड में उक्त खसरा नं. 499 व 2610/498 की भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 7 के नाम इन्द्राज होने से उनका नाम हटाया जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 13 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है इसलिये वादी कों अपने अधिकारों की सुरक्षार्थ यह वाद वास्ते इस्तकरार हक व रेकर्ड दुरूस्ती पेश किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 7 द्वारा अपनी गलत खातेदारी का नाजायज फायदा उठाकर उक्त खसरान की भूमि का मौका देखकर कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय या हस्तानान्तरित कर सकते है तथा प्रतिवादीगण संख्या 14 व 15 द्वारा उक्त भूमि के पट्टे जारी किये जा सकते है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 7 मौका देखकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 13 की उक्त खसरा नं. 499 व 2610/498 पर कब्जा कर सकते है इसके लिये प्रतिवादीगण संख्या 1 व 7, 14, 15, 17 ता 19 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 भंवरीदेवी के वारिसान होने से एवं 8, 9, 16 सह खातेदार होने से उन्हे पक्षकार प्रतिवादीगण बनाया गया है एवं प्रतिवादीगण संख्या 17 पंजियन अधिकारी होने से एवं प्रतिवादी संख्या 18 भूमिधारी एवं प्रतिवादी संख्या 19 पटवारी होने से उन्हे आवश्यक पक्षकार प्रतिवादीगण बनाया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 13 व वादी का हित एक ही होने से प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 13 को पक्षकार प्रतिवादीगण बनाया गया है। वादी की इस्तदुआ है कि कस्बा कुचामन सिटी तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित खेत खसरा नं. 498 रकबा 0.39 हैक्टेयर भूमि व 499 रकबा 1.92 हैक्टेयर व खसरा नं. 2610/498 रकबा 0.20 हैक्टेयर भूमि में से 2.51 हैक्टेयर भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 7 का नाम उक्त खसरान की भूमि हटाया जावे एवं खसरा नं. 2678/468 का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड से हटाया जावे इस आशय की डिक्री बहक वादी व प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 13 के पक्ष में सादिर फरमाई जावे। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे खसरा नं. 499, 2610/498 का अन्य किसी भी व्यक्ति को बेचान या हस्तान्तरण नहीं करे एवं उक्त खसरान की भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 14, 15 किसी भी व्यक्ति के नाम से पट्टा आदि जारी नहीं करे एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिवादीगण संख्या 17 ता 19 एवं उनके एजेण्ट पटवारी हल्का को आदेश फरमाया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 7 द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 के कब्जेशुदा स्वामित्व में किसी प्रकार की दखलदांजी व हस्तक्षेप न तो स्वयं करे एवं न ही अपने एजेन्टों से ऐसा करावें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामनसिटी (नागौर)

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9, 14 से 19 की तलबी जरिए अखबार स्याहा की गई, प्रतिवादी 1 से 9 , 14 से 19 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 10,11,12 की और से इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से श्री विजयसिंह अधिवक्ता उपस्थित आए। तत्पश्चात प्रतिवादी सं. 13 अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही की गई।

वकील वाद द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में गत खसरा नम्बर 194 एवं 186 से जमाबन्दी नकले, नई .खतौनी की नकले, मिलान क्षेत्रफल इत्यादि प्रस्तुत की जो शामिल मिसल उपलब्ध है। प्रकरण की सुनवाई के दौरान वकील वादी के निवेदन पर निरीक्षक भू.अ.कुचामनसिटी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। जो शामिल मिसल उपलब्ध है। प्रतिवादी संख्या 11 11 12 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने कथन किया है गत खसरा नम्बर 186 एवं 194 में बन्नाराम पुत्र कल्याण को 30 बीघा एवं 4 बीघा भूमि आवंटन हुई थी जिसे नये सेटलमेन्ट के दौरा रकबा बढ़ाया जाकर 10.51 हैक्टर भूमि दर्ज की गई। जो गलत रूप से दर्ज की गई है। वादी का कब्जा काश्त खसरा नम्बर 198 499 2610/498 कुल रकबा 2.51 हैक्टर पर है, इसी अनुसार खातेदारी दर्ज की जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजा इत्यादि का अवलोकन किया गया। नकल खतौनी ग्राम कुचामनसिटी सम्वत 2030–2033 अनुसार खसरा नम्बर 186 मिन रकबा 25 बीघा बन्ना पुत्र कल्याण कौम नायक सा. देह खातेदार दर्ज है, नकल खतौनी ग्राम कुचामनसिटी सम्वत 2033–2036 अनुसार खसरा नम्बर 194 मिन रकबा 4 बीघा, खसरा नम्बर 186 मिन रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा कुल रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा में बन्ना पुत्र कल्याण कौम नायक सा. देह गैर खातेदार दर्ज है, नकल खतौनी ग्राम कुचामनसिटी सम्वत 2037–2040 अनुसार खसरा नम्बर 194 मिन 4 बीघा खसरा नम्बर 186 मिन रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा में बन्ना पुत्र कल्याण कौम नायक सा. देह गैर खातेदार दर्ज है, जरिये ना.सं. 985 दिनॉक 07.11.84 के अनुसार बन्ना फौत होने पर पनूड़ी बैवा बन्ना नायक के नाम गैर खातेदार का अमल दरामद किया गया। खसरा नम्बर 194 मिन रकबा 4 बीघा, खसरा नम्बर 186 मिन रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा कुल रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा में बन्ना पुत्र कल्याण कौम नायक सा. देह खातेदार दर्ज है जरिये ना.सं. 985 दिनॉक 07.11.84 के अनुसार बन्ना फौत होने पर पनूड़ी बैवा बन्ना नायक के नाम गैर खातेदार का अमल दरामद किया गया। नकल खतौनी ग्राम कुचामनसिटी सम्वत 2033–2036 अनुसार खसरा नम्बर 194 मिन रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा में सुजा पुत्र देवाराम कौम जाट सा. देह गैर खातेदार दर्ज है। गिरदावरी नकल सम्वत 2010–2013 में गत खसरा नम्बर 186 रकबा 48 बीघा 16 बिस्वा खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

194 रकबा 644 बीघा 18 बिस्वा गै.मु. भाकर जागीर गैर मकबूजा दर्ज है। सम्वत 2014–2016 में खालसा दर्ज है तथा वादी के पिता देवा पुत्र सुखा जाट के साथ अन्य व्यक्तियो की खातेदारी दर्ज चली आ रही है। गिरदावरी नकल सम्वत 2015–2018 तक में बन्ना पुत्र कल्याण नायक 25 बीघा नियमित खसरा नम्बर 186 रकबा 48 बीघा 16 बिस्वा में अंकन है। नकल गिरदावरी सम्वत 2030–2033 में बन्ना पुत्र कल्याण कौम नायक सा.देह खातेदार दर्ज है तथा काश्त दर्ज है। नकल खतौनी सम्वत 2062–265 ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 446 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 447 रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 499 रकबा 1.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 501 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 502 रकबा 5.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 503 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 504 रकबा 1.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 2610/498 रकबा 0.20 हैक्टर कुल रकबा 15.051 हैक्टर में पन्नूड़ी बैवा बना नायक सा. देह खातेदार दर्ज है तथा ना.सं.3034 दिनॉक 19.08.2008 द्वारा विरासत से पन्नुड़ी बैवा बना नायक के स्थान पर सोहनी पुत्री बन्नाराम जाति नायक दर्ज किया गया। नामा.सं.3034 दि. 11.11.08 के द्वारा पुनरविलोकन से दि. 19.9.08 का निर्णय खारिज कर पन्नुड़ी बैवा बन्ना के स्थान पर भंवरीदेवी, सोहनीदेवी पुत्रिया बन्नाराम स्वीकृत हुआ। ना.सं. 3181 दि.10.02.09 के द्वारा हक त्याग से खसरा नम्बर 503 504 में सोहनीदेवी पुत्री बन्नाराम के द्वारा हक त्याग करने पर भंवरीदेवी पुत्री बन्नाराम का नाम दर्ज किया गया। नामा.सं.3196 दि.17.02.09 के द्वारा खसरा नम्बर 503 504 को भंवरीदेवी पुत्री बन्नाराम द्वारा बेचान करने पर प्रभूराम पुत्र हणमानराम कौम मेघवाल सा. बेगसर तहसील डीडवाना का नाम दर्ज किया गया। नामा. सं. 3229 दिन.27.2.09 के द्वारा बेचान व आदेश से भंवरीदेवी सोहनीदेवी पुत्रिया बन्नाराम नायक के खसरा नम्बर 446 447 का खाता विभाजन निम्न प्रकार हुआ है खसरा नम्बर 446 रकबा 0.04 हैक्टर,खसरा नम्बर 447 रकबा 0.30 हैक्टर रामदेव पुत्र चुन्नीलाल जाति नायक सा. देह व खसरा नम्बर 3055/446 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु. सड़क खसरा नम्बर 3056/447 रकबा 0.30 हैक्टर गै.मु. सड़क पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का नाम दर्ज किया गया। नामा. सं. 3325 दि.20.5.09 के द्वारा खसरा नम्बर 501 502 का बंटवारा स्वीकार होने पर खसरा नम्बर 3082/501 रकबा 0.05 हैक्टर खसरा नं. 3083/502 रकबा 2.99 हैक्अर कुल रकबा 3.24 हैक्टर भंवरीदेवी पुत्री बन्नाराम नायक, खसरा नं. 501 रकबा 0.75 हैक्टर खसरा नं. 502 रकबा 2.49 हैक्टर कुल रकबा 3.24 हैक्टर सोहनी देवी पुत्री बन्नाराम नायक के नाम खातेदारी दर्ज। ना.सं. 3402 दि. 13.7.09 के द्वारा धारा 90 बी से प्रभूराम पुत्र हणमानराम मेघवाल सा. बेगसर के खसरा नम्बर 504 रकबा 1.22 हैक्टर मे से रकबा 1.05 हैक्टर पुनग्रहित कर खसरा नम्बर 3096/504 रकबा 1.05 हैक्टर न.पा. कुचामनसिटी के दर्ज की गई। ना. सं. 3438 दि. 11.8.09 के द्वारा धारा 90 बी के तहत रामदेव पुत्र चुन्नीलाल जाति नायक खसरा नम्बर 446 रकबा 0.04 हैक्टर खसरा नम्बर 447 रकबा

0.34 हैक्टर पुनग्रहित कर न.पा. कुचामनसिटी के नाम दर्ज की गई। नामा.सं. 3499 दि. 3.9.09 के द्वारा धारा 90 बी से खसरा नम्बर 3082/501 3083/502 रकबा 3.34 हैक्टर भंवरीदेवी पुत्री बन्नाराम के स्थान पर धारा 90 बी के द्वारा पुनग्रहित कर नगरपालिका कुचामनसिटी के नाम दर्ज किया गया। नामा.सं. 3724 दि. 29.3.10 विरासर से खसरा नम्बर 499 2610/498 में भंवरीदेवी पुत्री बन्नाराम नायक के स्थान पर प्रेमनाथ विश्वनाथ पि. जगनाथ गोमती शोभा सुनिता पुत्रीया जगनाथ स्वीकृत। नाम.सं. 4098 दि. 21.7.11 द्वारा बेचान से प्रेमनाथ विश्वनाथ पि. जगनाथ गोमती शोभा सुनिता पुत्रिया जगनाथ कौम नायक द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा बेचान करने पर इनके स्थान पर भैरूराम पुत्र दुलाराम जाति बलाई सा. देह खातेदार का नाम दर्ज किया गया। नामा. सं. 4117 दि. 1.9.11 बेचान से भैरूराम पुत्र दुलाराम जाति बलाई सा.देह द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान करने पर इसके स्थान पर लिखमाराम पुत्र हनुमानराम जाति मेघवाल सा. रायथलिया तह. मकराना के नाम दर्ज किया गया। नामा.सं.4245 दि. 4.5.12 बेचान से लिखमाराम पुत्र हनुमानराम जाति मेघवाल सा. रायथलिया द्वारा खसरा नम्बर 499 रकबा1.92 हैक्टर खसरा नम्बर 2610/498 रकबा 0.20 हैक्टर मे स्थित अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान करने पर इनके स्थान पर लालाराम पुत्र मोडूराम जाति मेघवाल सा. गौगोर खातेदार का नाम दर्ज किया। जमाबन्दी सम्वत 2062-65 ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 498 रकबा 0.39 हैक्टर खसरा नम्बर 2678/468 रकबा 2.08 हैक्टर में सुजा पुत्र देवाराम जाति जाट सा. देह गैर खातेदार दर्ज है, नामा.2962 दिनॉक 27.6.08 विरासत के द्वारा सुजा पुत्र देवा फौत होने पर इनके स्थान पर मोहनीदेवी पत्नी सुजाराम कानाराम दानाराम किशनाराम रामेश्वर भागूराम पि. सुजाराम का नाम दर्ज किया गया। नामा.सं. 2971 दि. 30.6.2008 खातेदारी के द्वारा मोहरीदेवी पत्नी सुजाराम कानाराम दानाराम किशनाराम रामेश्वर भागूराम पि. सूजाराम को गैरखातेदार से खातेदार दर्ज किया गया। नामा.सं. 3305 बेचान 11.5.2009 के द्वारा भागूराम पुत्र सुजाराम मोहनीदेवी पत्नी सुजाराम रामेश्वर पुत्र सुजाराम जाति जाट द्वारा अपना हिस्सा बेचान करने पर इनके स्थान पर मनोहरकंवर पत्नी श्रवणसिंह जाति राजपूत सा. कांकरिया सन्तोष कंवर पत्नी राजेन्द्रसिंह राजपूत सुरतपुरा श्रवणसिंह पुत्र देवीसिंह राजपूत सा. कांकरिया राजेन्द्रसिंह पुत्र बहादुरसिंह राजपूत सा. सुरतपुरा का नाम दर्ज किया गया। ना.सं.4060 दि.8.4.2011 बेचान से श्रीमती मनोहर कंवर पत्नी श्रवणसिंह जाति राजपूत सा.कांकरिया श्रवणसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत सा. कांकरिया द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान करने पर इनके स्थान पर श्रीपालसिंह पुत्र वीरसिंह जाति राजपूत सा. देह हिम्मताराम पुत्र बचनाराम जाति गुर्जर सा. देह ब.हि.ब. नाम दर्ज किया गया। नामा. सं. 4181 दि. 7.02.2012 बेचान से राजेन्द्रसिंह पुत्र बहादुरसिंह संतोषकंवर पत्नी राजेन्द्रसिंह सा. सुरतपुरा श्रीपालसिल पुत्र वीरसिंह राजपूत हिम्मताराम पुत्र बचनाराम गुर्जर द्वारा अपना

उपखण्ड अधिकारी

सम्पूर्ण हिस्सा बेचान करने पर इनके स्थानपर रामेश्वरलाल पुत्र सुजाराम जाति जाट सा. देह का नाम दर्ज किया गया। वर्तमान जमाबन्दी नकल अनुसार ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 498 रकबा 0.39 हैक्टर खसरा नम्बर 2678/468 रकबा 2.08 हैक्टर कुल रकबा 2.47 हैक्टर में कानाराम दानाराम किशनाराम पि. सुजाराम जाति जाट सा. देह हि.1/2 रामेश्वरलाल पुत्र सुजाराम जाति जाट सा. देह 1/2 हिस्सा खातेदार दर्ज है। खसरा नम्बर 499 रकबा 1.92 हैक्टर खसरा नम्बर 2610/0.20 हैक्टर कुल रकबा 2.12 हैक्टर में लालाराम पुत्र मोडूराम जाति मेघवाल सा. गोगोर सोहनीदेवी पुत्री बन्नाराम कौम नायक सा. देह खातेदार दर्ज है। निरीक्षक भू.अ.कुचामनसिटी की मौका रिपोर्ट दिनॉक 5.12. 2016 अनुसार *" खसरा नम्बर 498 2610/498 499 नक्शा लट्ठा में अंकित है परन्तु खसरा नम्बर 2678/468 रकबा 2.08 हैक्टर की तरमीम नक्शे लट्ठे में नही है अर्थात खसरा नं. 2678/468 नक्शे लट्ठे में अंकित नही है, खसरा नम्बरो के बारे में मौके पर उपस्थित मौतबरान एवं खातेदारो से कब्जा काश्त के बारे में पूछताछ की गई उपस्थित सभी व्यक्तियो ने बताया कि खसरा नम्बर 498 रकबा 0.39 हैक्टर खसरा नम्बर 2610/498 रकबा 0.20 हैक्टर खसरा नम्बर 499 रकबा 1.92 हैक्टर मे से 1.88 हैक्टर कुल रकबा 2.47 हैक्टर पर कानाराम दानाराम किशनाराम पि. सुजाराम 1/2 रामेश्वरलाल पुत्र सुजाराम जाति जाट 1/2 के कब्जे काश्त में है, उपरोक्त मौतबरान के समक्ष फर्द तैयार कर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाये गये। "* पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। बनाराम पुत्र कल्याण को आंवटित भूमि से ज्यादा उसके खाते में नये सेटलमेंट के दौरान आने की तस्दीक उपलब्ध साक्ष्य जमाबन्दी नकलात इत्यादि से होती है। आवंटित भूमि से ज्यादा बनाराम की मृत्यु पश्चात इसकी पत्नी पन्नुड़ी तथा पन्नुडी की मृत्यु पश्चात इसके वारिस सोहनीदेवी एवं भंवरीदेवी तथा भंवरीदेवी की मृत्यु के पश्चात प्रेमनाथ विश्वनाथ गोमती शोभा सुनिता के गलत रूप से दर्ज चली आई है। नये सेटलमेन्ट के दौरान खसरा नम्बर 186 एवं 194 के रकबे को सम्मिलित करते हुए रकबा बढ़ा दिया गया तथा नये अलग अलग खसरा नम्बर कायम किये गये। मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है कि गत खसरा नम्बर 186 का रकबा बढ़ाया गया है। वादी के पूर्वज सुजा पुत्र देवा जाट के नाम गत खसरा नम्बर 194 मे से 15 बीघा 5 बिस्वा भूमि दर्ज हुई है तब से वे उपरोक्त खसरा नम्बर 498 रकबा 0.39 हैक्टर खसरा नम्बर 2610/498 रकबा 0.20 हैक्टर खसरा नम्बर 499 रकबा 1.92 हैक्टर मे से 1.88 हैक्टर कुल रकबा 2.47 पर काबिज चले आ रहे है तथा आज दिन भी इन्ही का कब्जा काश्त चला आ रहा है, उपरोक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 7 का कभी कब्जा काश्त नही रहा है। रिपोर्ट नि.भ.अ. कुचामनसिटी के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 से 13 का कब्जा काश्त साबित होता है। इस प्रकार उपरोक्त प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 498 रकबा 0.39 हैक्टर खसरा नम्बर 2610/498 रकबा 0.20 हैक्टर खसरा नम्बर 499

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामनसिटी (नागौर)

रकबा 1.92 हैक्टर मे से 1.88 हैक्टर कुल रकबा 2.47 हैक्टर पर कानाराम दानाराम किशनाराम पि. सुजाराम 1/2 रामेश्वरलाल पुत्र सुजाराम जाति जाट 1/2 के कब्जे काश्त में है जिसकी पुष्टि निरीक्षक भू.अ.कुचामनसिटी की रिपोर्ट से होती है। अतः वाद वादी काबिल डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है।

आदेश

ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 498 रकबा 0.39 हैक्टर खसरा नम्बर 2610/498 रकबा 0.20 हैक्टर खसरा नम्बर 499 रकबा 1.92 हैक्टर मे से 1.88 हैक्टर कुल रकबा 2.47 हैक्टर में कानाराम दानाराम किशनाराम पि. सुजाराम 1/2 रामेश्वरलाल पुत्र सुजाराम जाति जाट 1/2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, खसरा नम्बर 499 का शेष रकबा 0.04 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 2678/468 रकबा 2.08 हैक्टर कुल रकबा 2.12 हैक्टर मे लालाराम पुत्र मोडूराम जाति मेघवाल सा. गौगोर सोहनीदेवी पुत्री बन्नाराम कौम नायक सा. देह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनॉक 01/02/17 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं कुचामनसिटी (नागौर)